प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14.12.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 14.12.2016 को अपराह्न सायं 5.00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक श्री चंचल कुमार तिवारी, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

क्र. सं.	नाम	पद व पता	'प्रिट' के पदाधिकारी
1	श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0	प्रमुख सचिव/पंचायती राज एवं अध्यक्ष 'प्रिट'	अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
2	श्री अनिल कुमार दमेले, आई0ए0एस0	निदेशक, पंचायतीराज/'प्रिट'	उपाध्यक्ष
3	श्री राजेन्द्र सिंह	अपर निदेशक, पंचायती राज	सदस्य–सचिव
4	श्री उमाकान्त मिश्रा	निदेशक, पंचायती राज (लेखा)	सदस्य
5	श्री महेन्द्र कुमार	संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव	विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	अनु0 सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	श्री गिरीश चन्द्र रजक	उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	संयुक्त सचिव

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, प्रिट की अनुमति से निदेशक, पंचायतीराज/उपाध्यक्ष 'प्रिट' द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं क्रमशः एजेण्डावार चर्चा की गयी। माननीय कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत हैः–

एजेण्डा	माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1: प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 02–08–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 02.08.2016 का कार्यवृत्त यथावत अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा बिन्दु–2: प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–02.08.2016 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	माननीय समिति गत् बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति से अवगत हुई। साथ ही गत् बैठक के– • एजेण्डा बिन्दु–3 तथा एजेण्डा बिन्दु–4 क्रमशः जिला पंचायत अध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के प्रशिक्षण माननीय मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 से समय व तिथि निर्धारित करा कर माह दिसम्बर के अन्त तक कराये जाने के निर्देश मा0 समिति द्वारा प्रदान किये गये। • एजेण्डा बिन्दु–5 नवनिर्वाचित प्रधानों के विकास खण्ड स्तरीय चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण में तेजी लाते हुए माह दिसम्बर, 2016 के अन्तिम सप्ताह तक पूर्ण कराने के निर्देश मा0 समिति द्वारा प्रदान किये गए। • एजेण्डा बिन्दु–6 पंचायती राज विभाग की त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन के संदर्भ में मा0 समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पत्रिका का नाम **''पंचायत दर्शन''** होगा तथा पत्रिका के रजिस्ट्रेशन आदि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाये। • गत बैठक में अतिरिक्त एजेण्डा के बिन्दु–2 ''प्रिट हेतु प्रस्तावित ट्रेनिंग कैलेण्डर के अनुसार वर्षवार आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय होने वाली धनराशि का एक साथ सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रिट के खाते में जमा कराये जाने के संबंध में मा0 समिति द्वारा यह पृच्छा की गई कि क्या इस धनराशि के पी0एल0ए0 खाते से आहरण कर प्रिट के खाते में जमा करने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो सुसंगत

	प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जाए।
एजेण्डा बिन्दु–3: कार्यकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 02.08.2016 के एजेण्डा बिन्दु–5 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रिट द्वारा दिनांक 26.08.2016 से 06.10.2016 तक नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण/कार्यक्रम आयोजित किया जाना। उक्त के सम्बन्ध में माननीय समिति को अवगत कराना है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ में दिनांक 26.08.2016 से 06.10.2016 के मध्य 800 मास्टर ट्रेनर्स हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष कुल 849 मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभाग किया। इस हेतु शासन के शासनादेश संख्याः– 1406/33–3–2016–306/2014 दिनांक 09.06.2016 **(परिशिष्ट–5)** जनपदो में ग्राम पंचायत प्रधानों (59,073) को विकास खण्ड स्तर पर चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण देने हेतु धनराशि कुल रू0 19,02,27,760/– में 800 मास्टर ट्रेनर्स हेतु रू0 59,20,000/– सम्मिलित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 800 प्रतिभागियों के लिये प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 849 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में, उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49 प्रतिभागियों पर कुल रू0 1850X49X4 = रू0 3,62,600/– की धनराशि अतिरिक्त व्यय हुयी। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 62,82,600/– 849 प्रतिभागियों पर व्यय की गयी। शासनादेश संख्याः–2706/33–3– 2016 –306/2014 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 के अन्तर्गत 150 मास्टर ट्रेनर्स के चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण हेतु कुल धनराशि रू0 11,10,000/– स्वीकृत की गयी है**(परिशिष्ट–6)**। उक्त धनराशि में 49 मास्टर ट्रेनर्स की रू0 3,62,600/– सम्मिलित है का व्यय किया जा चुका है। 101 मास्टर ट्रेनर्स को चार दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु 1850X101X4 = रू0 7,47,400/– अवशेष धनराशि बची है। जिन विकास खण्डों से मास्टर ट्रेनर्स के रूप में 101 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कियें है, उन सभी विकास खण्डों के ऐसे सभी अवशेष मास्टर ट्रेनर्स का एक चार दिवसीय सत्र आहूत कर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिस पर अवशेष धनराशि रू0	माननीय समिति द्वारा अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।

7,47,,400/– व्यय किया जाना प्रस्तावित है। निर्णयार्थः– माननीय समिति से उक्तानुसार अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है।	
एजेण्डा बिन्दु–4: जिला पंचायत के कार्य अधिकारियों का दस दिवसीय प्रशिक्षण। शासनादेश संख्याः–57/2016/2468/33–3–2016–306/2014, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा 24 कार्य अधिकारियों के दस दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 1850X24X10 = रू0 4,44,000/– की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त के सापेक्ष 16 कार्य अधिकारियों द्वारा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ में दस दिवसीय प्रशिक्षण हेतु दिनांक 15.10.2016 से 24.10.2016 तक प्राप्त किया गया। लगभग कुल धनराशि 1850X16X10 = रू0 2,96,000/– धनराशि व्यय हुई है। धनराशि रू0 1,48,000/– शेष बची है। आठ अवशेष बचे नव नियुक्त कार्य अधिकारियों पर आगामी प्रशिक्षण में व्यय की जायेगी। प्रतिभागियों की सूची व प्रशिक्षण की समय सारिणी **(परिशिष्ट–7)** पर संलग्न है। निर्णयार्थः– माननीय समिति से उक्तानुसार अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है।	माननीय समिति द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेण्डा बिन्दु–5: नवनियुक्त/प्रोन्नति प्राप्त जिला पंचायत राज अधिकारियों का प्रशिक्षण। शासनादेश संख्याः–57/2016/2468/33–3–2016–306/2014, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा 30 जिला पंचायत राज अधिकारियों की पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 1850X30X10 = रू0 8,32,500/– की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जनपदो में कार्यो की अधिकता के कारण जिला पंचायत राज अधिकारियों के प्रशिक्षण को दस दिवसीय प्रशिक्षण करने का निदेशक महोदय द्वारा निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में प्रतिभाग करने हेतु 21 जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ में दस दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 18.10.2016 से 27.10.2016 तक प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जिला पंचायत राज	माननीय समिति द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अधिकारी के इस दस दिवसीय प्रशिक्षण पर कुल धनराशि 1850X21X10 = रू0 3,88,500/– व्यय की गयी तथा धनराशि रू0 4,44,000/– शेष बची है। जो 07 अवशेष बचे जिला पंचायत राज अधिकारियों पर आगामी प्रशिक्षण में व्यय की जायेगी। प्रतिभागियों की सूची व प्रशिक्षण की समय सारिणी **(परिशिष्ट–8)**पर संलग्न है। निर्णयार्थः– माननीय समिति से उक्तानुसार अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है।	
एजेण्डा बिन्दु–6: ग्राम पंचायतों की तीन समितियों के सभापतियों का प्रशिक्षण। शासनादेश संख्याः– 2706/33–3–2016–306/2014 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की तीन समितियों के सभापतियों 1,77,219 को विकास खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु तथा प्रति विकास खण्ड के एक प्रतिभागी कुल 800 सहायक विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को इस प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के रूप में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 28,09,01,640/– की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त के क्रम में 800 मास्टर ट्रेनर्स को दिनांक 07.11.2016 से मण्डलवार 09 चरणों में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें लगभग 1850X800X3 = रू0 44,40,000/– व्यय होना सम्भावित है तथा 1,77,219 ग्राम पंचायतों के सभापतियों को विकास खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु रू0 27,64,61,640/– धनराशि स्वीकृत की गयी है **(परिशिष्ट–9)**। निर्णयार्थः– माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय समिति द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समय–सारिणी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण के अनुश्रवण हेतु आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गए।
एजेण्डा बिन्दु–7: प्रिट के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब की स्थापना। शासनादेश संख्याः– 2706/ 33–3–2016–306/2014 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 के अन्तर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर	माननीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन लम्बित रखा गया है।

लैब की स्थापना किये जाने के लिए धनराशि रू0 77,78,000/– स्वीकृत की गयी है **(परिशिष्ट–9 के अनुसार)**। उक्त के क्रम में प्रिट के अन्तर्गत 50 कम्प्यूटर की लैब स्थापना हेतु यू0पी0डेस्को से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है **(परिशिष्ट–9(i))**। **निर्णयार्थः–** माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
एजेण्डा बिन्दु–8ः अनावर्ती व्यय हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में। शासनादेश संख्याः–43/2016/2220/33–3–2016–306/2014 दिनांक 01.09.2016 द्वारा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील करने हेतु प्रिट द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में अनावर्ती व्यय के मद में धनराशि रू0 27,00000/–(सत्ताइस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है **(परिशिष्ट–10)**। 1. उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में अनावर्ती व्यय के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से मद संख्या–26 के अन्तर्गत तीन लैपटाप, तीन प्रोजेक्टर तथा तीन साउंड सिस्टम (माइक सहित) क्रय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इसी मद में उपलब्ध धनराशि से 43 इंच का एक एल.ई.डी. टी.वी. (टाटा स्काई कनेक्शन सहित) एवं खेल समाग्री (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस तथा कैरम बोर्ड) की व्यवस्था प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु की गयी है। 2. मद संख्या–42 में उपलब्ध धनराशि से पुस्तकालय की स्थापना हेतु पुस्तकों का क्रय तथा प्रतिदिन दो अंग्रेजी व दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों की व्यवस्था की जा रही है। 3. मद संख्या–13 के अन्तर्गत एक फोटो स्टेट मशीन तथा एक फैक्स मशीन का क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रिट के कार्यो के सुचारु संचालन हेतु दो कम्प्यूटर उपकरण भी क्रय किये जाने प्रस्तावित हैं। 4. मद संख्या–42 में उपलब्ध धनराशि में से विविध व्यय हेतु आरक्षित धनराशि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से एक वाशिंग मशीन 09 कि0ग्रा0 (सैमसंग/एल.जी.	मा0 समिति द्वारा एजेण्डा अवलोकित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि निदेशक प्रिट को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

आदि) क्रय की गयी है। जिसका उपयोग आवासीय प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों के कमरों में उपयोग किये जा रहे चादरों व गिलाफ आदि को धोने में किया जायेगा। साथ ही इसी मद से प्रतिभागियों को योग प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु दरी तथा प्रिट अन्तर्गत आवासीय व्यवस्था हेतु कम्बल एवं चादरों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयार्थः— मा0 समिति से उक्तानुसार कार्योत्तर स्वीकृति निवेदित है।

एजेण्डा बिन्दु—09: प्रिट के अन्तर्गत पंचायत उद्योग सरोजनी नगर द्वारा संचालित कैंटीन में नाश्ते एवं भोजन की दरों का निर्धारण।

उपरोक्त के क्रम में मा0 समिति को अवगत कराना है कि प्रिट के अन्तर्गत आयोजित किये जा रहे आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों हेतु चाय, पानी, नाश्ते व भोजन की व्यवस्था तथा दरों के निर्धारण करने के लिए अपर निदेशक(प्र0) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी **(परिशिष्ट—11)**। इस हेतु विविध प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राईवेट कैटरर्स से दरें प्राप्त की गयी। उक्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त पंचायत उद्योग, सरोजनी नगर की प्रस्तावित दरों को न्यूनतम पाये जाने पर निम्न तालिक अनुसार दरों का निर्धारण किया गया **(परिशिष्ट—11(i))**।

क्र0सं0	विवरण	उपाम की दरें रूपये में	रिट्ज की दरें रूपये में	पंचायत उद्योग, लखनऊ की दरें रूपये में	उ0प्र0 रा0 कर्मचारी कल्याण निगम	अभ्युक्ति
1.	नाश्ता	65/—	115/—	45/—	—	
2.	लंच	170/—	185/—	145/—	—	
3.	डिनर	145/—	185/—	145/—	—	
4.	चाय एवं बिस्कुट	15/—	—	10/—	—	दो बार समय 11:30 व सायं 4:30
5.	पानी की	—	एम0आर	रू0		तीन

मा0 समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गएः—

1. निदेशक प्रिट द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
2. अन्तरिम व्यवस्था के तहत पंचायत उद्योग सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा मार्च, 2017 तक प्रिट के कैन्टीन की व्यवस्था की जायेगी। इसके पश्चात की व्यवस्था हेतु माह फरवरी, 2017 में आउटसोर्सिंग द्वारा कैन्टीन का संचालन किया जाए।

<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>बोतल/ जार</td><td></td><td>0पी0 रेट–रू0 7/–</td><td>6/–</td><td></td><td>बार</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>अतिरिक्त कर मान्य</td></tr>
</table>
<u>टिप्पणी:–</u> उपरोक्त वर्णित तालिका के क्रम में दिवसवार मेनू परिशिष्ट–12 पर संलग्न है।

<u>निर्णयार्थ:–</u> मा0 समिति से उक्तानुसार दरों पर अनुमोदन प्रदान किया जाना निवेदित है।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<u>एजेण्डा बिन्दु–10: जनपद– अम्बेडकरनगर में निर्मित कराए गए लोहिया भवन को क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में क्रियाशील किया जाना।</u>

उपर्युक्त विषयक के संबन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या:–2850/33–3–2016–31/2005 टी0सी दिनांक 21 नवम्बर, 2016 (परिशिष्ट–13) के क्रम में जनपद अम्बेडकरनगर में निर्मित कराये गये लोहिया भवन को क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के रूप में क्रियाशील किये जाने हेतु निम्न शर्तो के अधीन उपनिदेशक(पं0), फैजाबाद मण्डल को हैण्डओवर किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं:–

1. जनपद–अम्बेडकरनगर में निर्मित लोहिया भवन को पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है।

2. मण्डलीय उपनिदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को अपने पद के साथ प्राचार्य, पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण केन्द्र, लोहिया भवन, अम्बेडकरनगर हेतु नामित किया जाता है।

3. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण, रखरखाव, मरम्मत एंव प्रशासनिक मद की धनराशि का बजट व्यवस्था कराने हेतु उपनिदेशक(पं0) फैजाबाद द्वारा प्रस्ताव निदेशक, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, लोहिया भवन, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

4. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर समस्त कार्यो का तकनीकी परीक्षण करा लिया जाएगा, जिसमें विद्युत अभियन्ता भी शामिल
</td>
<td>मा0 समिति द्वारा उक्त बिन्दु यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया।</td>
</tr>
</table>

होगें। परीक्षणोपरान्त कार्य संतोषजनक स्थिति में पाये जाने के पश्चात आगणन में अंकित मानक/विशिष्टियों के अनुसार सारी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए उक्त भवन को उपनिदेशक(पं0), फैजाबाद को हैण्डओवर किया जायेगा। 5. उपनिदेशक(पं0) फैजाबाद प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। 6. प्रशिक्षण केन्द्र के नियमित संचालन हेतु उपनिदेशक(पं0) फैजाबाद एवं निदेशक, प्रिट उत्तरदायी होगें। **निर्णयार्थ:–** मा0 समिति से उक्तानुसार लोहिया भवन, अम्बेडकरनगर को क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के रूप में क्रियाशील किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाना निवेदित है।	
एजेण्डा बिन्दु–10-(i): जनपदो में जहां ग्राम्य विकास विभाग अथवा पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षण संस्थान नही है, वहां प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना के सम्बन्ध में। उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में/जिला ग्राम्य विकास संस्थान (डी0आई0आर0डी0) तथा 17 जनपदों में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान (आर0आई0आर0डी0) है। परन्तु शेष जनपदों में न तो ग्राम्य विकास विभाग और न ही पंचायती राज विभाग का कोई संस्थान/इकाई/केन्द्र है, जो पंचायती राज विभाग के त्रिस्तरीय पंचायतो के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायतो से जुडे अधिकारियों को प्रशिक्षण दे सके। त्रिस्तरीय पंचायतो के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आठ लाख से अधिक है। इनको प्रशिक्षण देने के लिये राज्य स्तर पर एक संस्थान 'प्रिट' है, जो इन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। परन्तु संख्या अधिक होने के कारण शेष 25 जनपदो में पंचायत से संबंधी प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रहीं है **(परिशिष्ट–14)**। ताकि उक्त सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम समय से पूर्व हो सके। माननीय समिति को अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (नया प्रस्तावित नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की पंचम बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 का एजेण्डा बिन्दु संख्या	मा0 समिति द्वारा एजेण्डा यथाप्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

4 ''डी0पी0आर0सी0 संस्थागत ढांचागत व्यवस्था'' के तहत यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (डी0पी0आर0सी0) भवन का निर्माण समस्त आवश्यक संसाधनों सहित रू0 2 करोड़ प्रति डी0पी0आर0सी0 के अन्दर ही किया जाये और इसका नाम जिला पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास रिसोर्स सेन्टर रखा जाये। इन सेन्टरो का संचालन उपनिदेशक(पं0) सम्बन्धित मण्डल द्वारा किया जायेगा **(परिशिष्ट–15)**। उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि जिन 25 जनपदों में ग्राम्य विकास विभाग अथवा पंचायती राज विभाग के कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, उन जनपदो में पूर्व में स्थापित पंचायत उद्योगो के निजी भवनो तथा उपलब्ध संसाधनो को डी0पी0आर0सी0 के रूप में विकसित किया जाना तथा उनका उपयोग जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। **निर्णयार्थः–** माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
एजेण्डा बिन्दु–11: इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ एवं भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे 100 डेलीगेट्स हेतु 'प्रिट' के हॉस्टल में ठहरने की व्यवस्था करने के सम्बंध में। इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ एवं भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से साक्षरता निकेतन परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी0 पटनायक, आई0ए0एस0(से0नि0) ने अपने पत्रांक– 364/आई.एल.बी./डा. जुबि./2016–17 दिनांक 05.11.2016 के माध्यम से उक्त संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे 100 डेलीगेट्स के ठहरने की व्यवस्था 'प्रिट' के हॉस्टल में **निःशुल्क** करने का अनुरोध किया है **(परिशिष्ट–16)**। तत्क्रम में निदेशालय के पत्रांक–3/60/2015–3/10/2015 दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के माध्यम से उनसे 50 प्रतिशत धनराशि रु0 46000/– जमा करने का अनुरोध किया गया था**(परिशिष्ट–16(i))**। तद्नुसार इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा उक्त धनराशि रु0 46000/– प्रिट के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कर दी गयी है और साथ ही उनके द्वारा 02.12.2016 से 06.12.2016 तक	मा0 समिति द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए डारमेट्री एवं प्रिट के आवासीय कमरों के किराये में कोई छूट न दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि लिटरेसी हाउस द्वारा लिए गए कमरों के बकाया किराये को अविलम्ब जमा कराया जाए।

06 डारमेट्री भी आरक्षित करने का अनुरोध किया गया था **(परिशिष्ट–16(ii))**। तत्क्रम में निदेशालय द्वारा रु0 1000/– प्रतिदिन की दर से डारमेट्री का किराया प्रिट के खाते में जमा करने का अनुरोध किया गया **(परिशिष्ट–16(iii))**, जो उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार जमा एवं देय धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:– 1. 23 सूट का रु0 1000/– प्रतिदिन प्रतिसूट की दर से चार दिनों का किराया = रु0 92000/– (23 x 4 x 1000) 2. 06 डारमेट्री का रु0 1000/– प्रतिदिन प्रति डारमेट्री की दर से का चार दिनों का किराया (06 x 4 x 1000) = रु0 24000/– कुल धनराशि =रु0 116000/– अग्रिम जमा धनराशि = रु0 46000/– **कुल देय धनराशि** **= रु0 70000/–** अतः इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा रु0 70000/– जमा किया जाना अवशेष है। **निर्णयार्थ:–** मा0 समिति उक्त से अवगत होते हुए अवशेष धनराशि जमा कराने के सम्बंध में निर्णय लेना चाहें।	
एजेण्डा बिन्दु–12: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **1. प्रिट के संचालन हेतु पदों की व्यवस्था किये जाने के सन्दर्भ में:–** प्रिट के सचांलन हेतु विभिन्न पदों की व्यवस्था के लिए जारी आदेश संख्या–3/456/2016–3/4/2016 दिनांक 05 जुलाई, 2016 **(परिशिष्ट–17)** के अन्तर्गत 12 कर्मचारियों को तैनात किया गया था जिसमें से वर्तमान में	मा0 समिति द्वारा इस हेतु विस्तृत प्रस्ताव की अपेक्षा की गई।

श्रीमती सुनीता सिंह, डा0 प्रीती सिंह, कुमारी कमल कौर, श्री चन्द्र किशोर वर्मा तथा श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव प्रिट के अन्तर्गत कार्यरत नहीं है। शेष कर्मचारी/अधिकारी यथा श्री ओम प्रकाश रावत, श्री सूरज प्रसाद, श्री जंग बहादुर मौर्या, श्री ए0सी0 पाण्डेय, श्री के0बी0 टुटेजा, श्रीमती प्रीती तथा श्री धीरज शुक्ला के द्वारा प्रिट के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यालय कार्य किये जा रहे हैं। प्रिट के विभिन्न पदों का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं। प्रिट के सुचारू रूप से संचालन हेतु उक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त एक कम्प्यूटर आपरेटर, एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, एक अनुसेवक महिला छात्रावास, एक अनुसेवक पुरुष छात्रावास, दो सफाई कर्मी, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा एक माली की तत्काल आवश्यकता है, जिन्हे निदेशालय स्तर पर इम्पैनेल्ड सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है। 2. **को–आर्डिनेटर के मानदेय हेतु स्वीकृतिः–** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के क्रम में रिसोर्स परशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है इसके अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन के साथ पी0पी0टी0/प्रस्तुतिकरण में सहायता करने हेतु तथा प्रशिक्षण संबंधी अन्य व्यवस्थाओं हेतु प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो को–आर्डिनेटर तथा दो सहायकों की सेवाएं ली जा रही हैं। जिनको प्रति प्रशिक्षण को–आर्डिनेटर हेतु 500 रू प्रति दिन तथा सहायकों को रू0 200 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। **निर्णयार्थः–** मा0 समिति से उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन निवेदित है।	मा0 समिति द्वारा उक्त पर विस्तृत प्रस्ताव की अपेक्षा की गई और साथ ही निर्देश दिये गये कि कार्य समिति की बैठक में शासन के विशेष सचिव अनिवार्य रूप से आमंत्रित किये जाए।
अतिरिक्त एजेण्डाः पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, 'प्रिट' के संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में। उक्त अतिरिक्त एजेण्डा के संबंध में मा0 समिति को अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 98/2016/2698/33–3–2016–158/2015 दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रिट के संचालन हेतु विभिन्न संवर्ग के स्थायी पदों का दिनांक 28.02.2017 तक के लिए, यदि इसके पूर्व इन पदों को समाप्त न कर दिया जाये, सृजित किए जाने	

की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:—

प्रस्तर—1 :— प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले पद

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1.	निदेशक	37400—67300 ग्रेड पे 8700	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पी0सी0एस0 संवर्ग की सेवा से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।
2.	अपर निदेशक	37400—67300 ग्रेड पे 8700	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पंचायतीराज सेवा समूह 'क' से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।
3.	संयुक्त निदेशक	15600—39100 ग्रेड पे 7600	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पंचायतीराज सेवा समूह 'क' से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।
4.	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600—39100 ग्रेड पे 5400	01	प्रतिनियुक्ति यह पद वित्त सेवा से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।
5.	सहायक निदेशक	15600—39100 ग्रेड पे 5400	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पंचायतीराज सेवा समूह 'ख' से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।

6.	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे 4600	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पंचायतीराज निदेशालय सेवा से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
7.	व्यवस्था अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे 4600	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पंचायतीराज निदेशालय सेवा से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
8.	वरिष्ठ सहायक	5200—20200 ग्रेड पे 2800	01	प्रतिनियुक्ति यह पद पंचायतीराज निदेशालय सेवा से भरा जायेगा और संबंधित संवर्ग में यह एक पद की वृद्धि मानी जायेगी।	

प्रस्तर—2:— आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाने वाले पद

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक अर्हता	मानदेय	
1.	सिस्टम मैनेजर (आई0टी0)	02	कम्प्यूटर साइंस अथवा आई0टी0 अथवा इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में बी0टेक की डिग्री, एम0बी0ए0 तथा 10 वर्षों का सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव/पंचायतीराज विभाग में कार्य करने वाले को अधिमान्यता।	30000/—	
2.	पंचायती राज विशेषज्ञ	01	स्नातकोत्तर की उपाधि तथा पंचायतीराज विभाग में न्यूनतम क्लास—2 अधिकारी के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का	40000/—	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

			अनुभव।		
3.	ग्राम विकास विशेषज्ञ	01	स्नातकोत्तर की उपाधि तथा ग्राम विकास विभाग में न्यूनतम क्लास–2 अधिकारी के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव।	40000/–	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
4.	प्रशिक्षण प्रबंधक	01	स्नातकोत्तर की उपाधि तथा किसी प्रशिक्षण संस्थान अथवा एम0बी0ए0 अथवा विभाग में कम से कम 5 वर्षो का कार्य अनुभव।	35000/–	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
5.	अनुसेवक महिला छात्रावास	02	जू0हाई0स्कूल व 01 वर्ष का सरकारी या निजी संस्थानों में अनुसेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव।	6000/–	मा0 समिति द्वारा एक अनुसेवक महिला की स्वीकृति प्रदान की गई।
6.	अनुसेवक पुरुष छात्रावास	02	जू0हाई0स्कूल व 01 वर्ष का सरकारी या निजी संस्थानों में अनुसेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव।	6000/–	मा0 समिति द्वारा दो अनुसेवक पुरुष की स्वीकृति प्रदान की गई।
7.	कम्प्यूटर सहायक	02	स्नातक व कम्प्यूटर कोर्स में डिप्लोमा तथा 02 वर्षो का (हिन्दी/अंग्रेजी) कम्प्यूटर टाइपिंग में अनुभव।	15000/–	मा0 समिति द्वारा एक कम्प्यूटर सहायक की स्वीकृति प्रदान की गई।
8.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	एम0सी0ए0/बी0टेक. (कम्प्यूटर सांइस अथवा आई0टी0)	25000/–	
9.	स्वागती	01	इण्टरमीडिएट, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं का सामान्य ज्ञान, साफ्ट स्पोकेन तथा 3 वर्षो का कार्य करने का अनुभव।	10000/–	
10.	सफाई कर्मचारी	02	पढ़ा लिखा तथा शासकीय अथवा किसी निजी संस्थान में चतुर्थ श्रेणी/सफाईकर्मी के रूप	6000/–	मा0 समिति द्वारा सफाई कर्मचारी के दोनों पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।

			में 3 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।		
11.	चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मी	02	पढ़ा लिखा तथा शासकीय अथवा किसी निजी संस्थान में चतुर्थ श्रेणी/सफाईकर्मी के रूप में 3 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।	6000/–	मा0 समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मी के दोनों पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
12.	माली	01	पढ़ा लिखा तथा शासकीय अथवा किसी निजी संस्थान में माली के रूप में 3 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।	6000/–	

प्रस्तर–3:– सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले पद

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	
1.	सहायक लेखाकार	5200–20200 ग्रेड पे 2800	01	सीधी भर्ती (शासन द्वारा निर्धारित अर्हता)	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे 2000	01	सीधी भर्ती (शासन द्वारा निर्धारित अर्हता)	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	आशुलिपिक	5200–20200 ग्रेड पे 2800	02	सीधी भर्ती (शासन द्वारा निर्धारित अर्हता)	
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	5200–20200 ग्रेड पे 2800	01	सीधी भर्ती (शासन द्वारा निर्धारित अर्हता)	
5.	भण्डार	5200–20	01	सीधी भर्ती (शासन द्वारा	

	सहायक	200 ग्रेड पे 2000		निर्धारित अर्हता)	
6.	केयर टेकर महिला छात्रावास (कनिष्ठ सहायक)	5200–20 200 ग्रेड पे 2000	01	स्नातक तथा किसी शासकीय अथवा गैर–शासकीय संस्थाओं में केयर टेकिंग एवं हाउस कीपिंग का 3 वर्षों का अनुभव।	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
7.	केयर टेकर पुरुष छात्रावास (कनिष्ठ सहायक)	5200–20 200 ग्रेड पे 2000	01	स्नातक तथा किसी शासकीय अथवा गैर–शासकीय संस्थाओं में केयर टेकिंग एवं हाउस कीपिंग का 3 वर्षों का अनुभव।	मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

शासन द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में मा0 समिति को अवगत कराना है कि प्रस्तर क्रमांक–1 पर वर्णित पदों के सापेक्ष संबंधित सेवा संवर्ग से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना है। प्रस्तर क्रमांक–2 पर वर्णित आउटसोर्सिंग के पदों पर प्राप्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय स्तर पर इम्पैनल्ड सेवा प्रदाता संस्थाओं अथवा शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त मैन पावर सप्लाई एजेन्सी यथा यू0पी0एस0आई0सी0 एवं श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तर क्रमांक–3 के क्रम में अवगत कराना है कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया में लम्बा समय लगना अवश्यंभावी है। कार्यहित में इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।

<u>निर्णयार्थ:–</u> मा0 समिति से शासन द्वारा प्रिट के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश को अंगीकृत करने तथा स्वीकृत पदों के संबंध में अवगत होते हुए पदों की पूर्ति किये जाने हेतु उक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन निवेदित है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

(राजेन्द्र सिंह)
अपर निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0 एवं
सदस्य–सचिव 'प्रिट'

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव
पंचायती राज, उ0प्र0 शासन
एवं अध्यक्ष, 'प्रिट'